

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक सं.
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाए)
वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/TRANS/8080/2014

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

— पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम),
ग्राम— कोतरा, पो.— कोतरा, तह. रायगढ़, जिला— रायगढ़ में संचरण पथ स्थापित करना ।

(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

— छत्तीसगढ़

(ii) जिला

— रायगढ़

(iii) वन प्रभाग

— रायगढ़

(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)—

93.1635 हेक्टेयर

(v) वन की कानूनी स्थिति

— संरक्षित, आरक्षित, नारंगी एवं

राजस्व वनभूमि

(सूची संलग्न)

(vi) हरियाली का घनत्व

— 0.1 से 0.5

(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4मी. भी संलग्न किया जाए ।

अनु. क्र.	प्रजातीवार वृक्ष का नाम	वैज्ञानिक नाम	अनु. क्र.	प्रजातीवार वृक्ष का नाम	वैज्ञानिक नाम
01	शाल	Shorea Robusta	08	कोसम	Schleichera Oleosa
02	साजा	Terminalia tomentosa	09	नीम	Azadirachata Indica
03	तैदु	Diospyrog Meianoxylon	10	जामुन	Syzyglumcuimini
04	महुवा	Madhuca Indica	11	करा	Cleistanthus collinus
05	बबूल	Acacia Arabica	12	अन्य मिश्रित	
06	आम	Mangifera Indica			
07	बांस	BambusaDendrocalmus			

..... संलग्न है
(viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।

.....भू-क्षरण नहीं होगा ।.....

(ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी ।

.....प्रस्तावित स्थल राजस्व वन सीमा के अंदर है ।.....

(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है । (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए) नहीं है ।

(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।

.....नहीं पायी जाती ।.....

(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है । यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें ।

.....नहीं है ।.....

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें ।

.....न्यूनतम है । प्रमाण पत्र संलग्न है

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं ।

..... नहीं किया गया है । प्रमाण पत्र संलग्न है

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्डों का आकार ।

..... संलग्न है ।
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।

..... संलग्न है ।
(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि ।

..... संलग्न है ।
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ।

..... संलग्न है ।

(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।)

..... संलग्न है ।

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें ।)

..... संलग्न है

12. विभाग/जिला प्रोफाइल

(i) वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्र.

..... 4387.96 वर्ग कि.मी.

(ii) वनमण्डल का वन क्षेत्र.

..... 1111.83 वर्ग कि.मी.

(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।

..... 47 प्रमाण 3194.866 हे.

(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि ।

..... निरंक

(ख) वनेत्तर भूमि पर ।

..... निरंक

(v) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :

(क) वन भूमि ।

..... सूची संलग्न है

(ख) वनेत्तर भूमि पर ।

..... सूची संलग्न है

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने योग्य है ।

..... राबू हित में परियोजना स्वीकृति की अनुमति दी जाती है ।

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

दिनांक:-

वनमण्डल अधिकारी (आर. के. पाठे)

रायगढ़ वनमण्डल

25/12/15

स्थान:- रायगढ़